न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या– 92/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक :–13.08.2019

निर्णय दिनांकः– 11.10.2019

उनवान

सुरेश पुत्र रूघनाथ जाति–बैरवा, निवासी ग्राम–ढूण्ढ़िया, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक

वादी

बनाम

1. **कैलाशी पुत्री लपस्या जाति–धोबी , निवासी ग्राम–ढूण्ढ़िया, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक**
2. **तहसीलदार पीपलू , जिला–टोंक**

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात

अधिवक्ता वादीः– श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री कमलेश गुर्जर

निर्णय दिनांकः–11.10.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 28.08.2019 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 09.10.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। अधिवक्तागण श्री विवेक चौधरी एवं श्री कमलेश गुर्जर ने तकास्मा रिपोर्ट के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट आराजी ख0न0 176/2 रकबा 11 बिस्वा वाकै ग्राम ढूण्ढ़िया की भूमि वादी के नाम रहेगी एवं ख0न0 176/1 रकबा 02 बीधा 13 बिस्वा वाके ग्राम ढूण्ढिया की भूमि खातेदार प्रतिवादी के नाम यथावत रहेगी। तहसीलदार, पीपलू तकास्मा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. एल.एन. बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल्स 6व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक
ब अलजास डॉ. एल.एन. बुनकर आर0ए0एस0

सुरेश पुत्र रूघनाथ जाति–बैरवा, निवासी ग्राम–दूण्ढ़िया, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक

वादी

बनाम

1. कैलाशी पुत्री लपस्या जाति–धोबी , निवासी ग्राम–दूण्ढ़िया, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
2. तहसीलदार पीपलू , जिला–टोंक

प्रतिवादीगण

मुकददमा न0 92/2019

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.. मुझ डॉ. एल.एन. बुनकर उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री विवेक चौधरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व डिगरी दी जाती है कि आराजी ख0न0 176/2 रकबा 11 बिस्वा वाकै ग्राम दूण्ढिया की भूमि वादी के नाम रहेगी एवं ख0न0 176/1 रकबा 02 बीधा 13 बिस्वा वाके ग्राम दूण्ढिया की भूमि खातेदार प्रतिवादी के नाम यथावत रहेगी। तहसीलदार, पीपलू तकास्मा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें।

निजी................................मबलिक.. बाबत...........................खर्चा
इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
............................को अदा करें ।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.10.2019 को जारी की गई ।

दस्तखत............ [signature]

उप खण्ड अधिकारी
ओहदा................
पीपलू (टोंक)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन	50	00	खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए ।